फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री राज कुमार चरनाल पिता श्री अम्बा लाल चरनाल निवासी चान्दपोल बाहर, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 91/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः—एफ.1()सू0अ0,05/2025/848 दिनांक 08.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 21.08.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 742 दिनांक 22.08.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा ईप्सित पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 787 दिनांक 11.09.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र अपीलार्थी को प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय द्वारा तैयार नहीं की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि में शुल्क जमा कराने व पत्रावली का अवलोकन करने हेतु पत्र प्रेषित किया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 787 दिनांक 11.09.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की	

धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में अपीलार्थी द्वारा शुल्क राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना हेतु कार्यालय दिवस में, कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूंचना का अवलोकन कर नियमानुसार शुल्क राशि जमा करा सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)